

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शा.रा.प. व भू अभिलेख निरीक्षक शानुभा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उन्हाली का बरिया पटवार हल्का शा.रा.प. तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् २०२३-२६ में खाता संख्या भा.नं. ५९३७/२५३७ में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	उन्हाली का बरिया	भा.नं. ५९३७/२५३७	भा.नं. ५९३७/२५३७ की तहसील की रा.प. शा.रा.प. उन्हाली का बरिया की तहसील शुद्ध किये जाते हैं	रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा कि रिपोर्ट एवं पटवारि नरेश एं.क. रा.प. शा.रा.प. उन्हाली का बरिया के वर्तमान कल्ल अनुसार भा.नं. ५९३७/२५३७ ग्राम उन्हाली का बरिया रा.प. शा.रा.प. शा.रा.प. के तहसील शुद्ध किये जाते हैं

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2024 / 214
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 18/06/2024

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रा.प. शा.रा.प. उन्हाली का बरिया

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

